

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
इन्द्रावती भवन, प्रथम तल ब्लॉक-2

फोन नंबर 0771-2234583, 2234584, 2234578 फेक्स नंबर 0771-2237480

क्रमांक/६५४०/आ.भू.अ./परीक्षा/2023,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 03/10/2023

कलेक्टर,

(भू-अभिलेख शाखा)

.....छत्तीसगढ़

विषय :- राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जारी किये जाने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत राज्य में पदस्थ पटवारियों को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण दिये जाने बाबत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पीय ओएमआर उत्तर पुस्तिका आधारित होगा, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 100 अंक का होगा, जिसके लिये 01:30 घंटे का समय प्रदान किया जावेगा। प्रारंभिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। अतः पाठ्यक्रम की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।


सचिव
भू-अभिलेख

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर

राजस्व निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

क.	विषय	धारा / अधिनियम
1	2	3
1	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता भू-राजस्व संहिता	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा :- 2, 28, 38, 58, 58ए, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 89, 98, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 114ए, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 158, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 170क, 170ख, 172, 173, 178, 178क, 179, 180, 181, 182, 183, 203, 204, 205, 206, 222, 226, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 250क, 250ख, 253 एवं 256 ।
	भू-राजस्व संहिता के निम्न धाराओं के अंतर्गत नियम	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा :- 59, 60, 68, 70, 71, 73, 87, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 124, 127, 129, 140, 144, 166, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 189, 191, 204, 231, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 248, एवं 250 के अंतर्गत नियम ।
	छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र	1. छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-1 2. भू-अभिलेख नियमावली भाग-4, अध्याय-4 नजूल या नगर भू-मापन संबंधी हिदायतें। 3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक कमांक-1 राजस्व वसूली संबंधी हिदायतें। 4. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो कमांक-6 वार्षिक राजस्व प्रतिवेदन। 5. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो कमांक-7 वार्षिक कृषि प्रविवरण। 6. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो कमांक-8 वार्षिक मौसम तथा फसल प्रतिवेदन। 7. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड दो कमांक-11 कानूनगों एवं उनके कर्तव्य। 8. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड तीन कमांक-1 मौसम तथा फसल प्रतिवेदन।

क.	विषय	धारा / अधिनियम
1	2	3
2		9. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड तीन क्रमांक-3 फसल पूर्वानुमान। 10. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड तीन क्रमांक-4 प्रायोगिक फसल कटाई 11. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-2 नगर बाह्य नजूल भूमियों आदि के अभिलेख तथा प्रबंधन के लिए अनुदेश। 12. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 नजूल भूमि एवं मिलिकियत सरकार की परिभाषा, कण्डिका-12 निपटारे का तरीका, भू-भाटक एवं प्रब्याजी की गणना, नजूल जांच। 13. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक-3 शोध क्षमता प्रमाण पत्र। 14. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक-4 प्राकृतिक प्रकोपों से हुई क्षति के लिए अनुदान सहायता। 15. गिरदावरी।
3	तरतीब (कागजात)	नमूने के ग्राम अभिलेख तैयार करना। (उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अभिलेख के विभिन्न नमूनों के फार्मों को, जो उन्हें दिये जाएंगे, भरना जानें) अर्थात् 1. खसरा बी-1 तथा चिट्ठा तैयार करना। 2. खसरा बी-1 का रोस्टर तैयार करना। 3. बी-1 से बी-7 तक के पत्रक तैयार करना। 4. भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार पटवारी और राजस्व निरीक्षकों द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी पत्रक तैयार करना। 5. तरतीब (कागजात) का अभ्यास।

क.	विषय	धारा / अधिनियम
1	2	3
4	सर्वे	व्यवहारिक भू-मापन चित्रण-पटल (प्लेन टेबल) जरीब तथा गुनिया (आप्टिकल स्ववायर) से भू-मापन नक्शे का काम, जिसमें नक्शों का सुधार तथा कंघी (एरिया कोम्ब) से क्षेत्रफल निकालना भी सम्मिलित है। सुधारी गई प्रतियों से नक्शे उतारना तथा नये नक्शों तैयार करना। नक्शा खींचने में रूढ़ चिन्हों (आलामात) का प्रयोग करना। परीक्षार्थियों से लगभग 3 से 4 हेक्टेयर तक के किसी क्षेत्र का भू-मापन करने के लिये तथा एक क्षेत्र पंजी (Field Book) तैयार करने के लिये कहा जाएगा। दूसरे दिन उन्हें क्षेत्र पंजी (Field Book) इसके भू-खण्ड बनाने और भू-खण्डों को कर्मांकित करने कंघी के जरिए क्षेत्रफल निकालने तथा रूढ़ चिन्हों का प्रयोग करने के लिये कहा जाएगा। 1. क्षेत्र नक्शा का वास्तविक नापकर फील्डबुक तैयार करना। 2. मात्र क्षेत्र नक्शा के आधार पर फील्डबुक तैयार करना। 3. नक्शा सीट के प्लॉट नंबर / सर्वे नंबर के नक्शे की पैमाईस कर रकबा निकालना। 4. नक्शा का स्केल परिवर्तित कर परिवर्तित स्केल पर नक्शा तैयार करना। 5. खसरा नंबर का बटांकन नक्शों में अंकित करना। 6. अलामात चिन्हों की जानकारी। सर्वेक्षण व सीमांकन की विभिन्न आधुनिक तकनीक (ड्रेन सर्वे, सैटेलाइट सर्वे, सर्वे आफ इंडिया, IIT रूड़की, Chips, c-cost द्वारा सर्वे)


 सचिव
 भू-अभिलेख

भू-अभिलेख
 नवा रायपुर अटल नगर